न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4145-दो/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-10-2016 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल जिला सीधी - प्रकरण क्रमांक 203/2015-16 अपील

विश्वनाथ साहू पुत्र गल्होरी
ग्राम केशवाही तहसील बहरी
जिला सीधी , मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- मुस. गोड़िया वेवा प्रभू साहू
2- जमाहिर 3- कुंज518.521
लाल पुत्रागण प्रभू साहू
4- सुश्री सुक्खी 5- सुश्री रजनी पुत्रियां प्रभू साहू
6- भाईलाल 7- हीरालाल पुत्रगण स्व.शंभू साहू
सभी ग्राम केशवाही तहसील बहरी जिला सीधी
8- विजय पुत्र भैयालाल 9- मु.ललिता पत्नि कैलाशराम
10- जगदीश पुत्र भैरों साहू तीनों ग्राम फुलवारी
तहसील बहरी जिला सीधी --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एल.एस..धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक २५-१० -2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 203/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-10-16 के

विरूद्ध मध्य प्रदेश भू रा0सं0, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार बहरी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 8 अ-6/15-16 में पारित नामांत्रण आदेश दिनांक 18-12-2015 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल के समक्ष दिनांक 21-3-16 को अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल ने प्रकरण कमांक 203/15716 अपील पॅजीबद्ध किया तथा उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 19-10-2016 पारित किया एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि उन्होंने निगरानी मेमो में जो कारण दिये हैं वही उनके तर्क है। निगरानी मेमो में अंकित है कि विलम्ब क्षमा करके अनावेदकगण को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से पुनरीक्षणाधीन प्रकरण का निराकरण किये जाने का शीघ्रता में प्रयास किया गया है परिसीमा के बिन्दु का निराकरण किये बिना प्रकरण पॅजीबद्ध करके ग्राह्य किया जाना न्याय के विपरीत है।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत होने के वाद आवेदक को सुनवाई के लिये बुलाया है एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना है। अवधि विधान की धारा-5 में दर्शाए गए कारण संतोषजनक पाकर विलम्ब क्षमा करने में कोई भूल नहीं हुई है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल द्वारा प्रकरण कमांक 203/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-10-16 को यथावत् रखे जाने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष द्वारा उक्त पद 4 में अंकित तर्को के कम में अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल जिला सीधी के प्रकरण कमांक 203/15-16 अपील का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल के प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 30 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 8 अ-74/16717 पर पॅजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 30-11-16 से निराकृत हुआ है एंव आवेदक का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 30 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा निरस्त हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल के प्रकरण कमांक 203/15-16 अपील के अवलोकन पर स्थिति

यह है कि तहसीलदार बहरी के नामान्तरण आदेश दि. 18-12-15 के विरूद्ध उनके समक्ष अनावेदकगण ने दिनांक 21-3-16 को अपील प्रस्तुत की है एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया है। इन अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित है कि 18-12-15 को तहसीलदार का आदेश पारित हुआ जिसके विरूद्ध 31-3-16 को अर्थात 108 दिवस के विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है जिसमें 45 दिन की नियत अवधि कम करने पर 63 दिवस का विलम्ब है। तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु 9-3-16 को आवेदन दिया गया एंव 22-3-16 को प्रमाणित प्रतिलिपि मिली। विलम्ब के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के पद 2 में कारण दर्शाया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 19-10-16 के पद 4 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है -

'' अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगणों को अपीलाधीन आदेश से सूचित होने के संबंध में आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर एंव ऐसी कोई टीप अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थीगण सूचित हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का जहां तक म्याद अधिनियम की धारा 5 में उठाये गये तथ्य कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पाई थी, विश्वसनीय प्रतीत होता है। ''

प्रेमनारायण राठौर बनाम म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 में दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं दी गई - सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई- उदारतापूर्वक माफी प्रदान की जाना चाहिये - आवेदन मंजूर किया गया। A.I.R. 1987 S.C. 1353 तथा 1997 रा.नि. 345 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित - विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल व्दारा प्रकरण कमांक 203/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-10-16 से विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं की गई है।

7/ उपरोक्त विवचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल व्दारा प्रकरण कमांक 203/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-10-16 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर